संख्या-82/2017/2060/22-2-2016-17(35)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 02 फरवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महाबली पुत्र श्री झंकार सिंह, निवासी जनपद लखीमपुर खीरी वर्तमान जनपद शाहजहांपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38309/प्रोबेशन-3 (एम-13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-10-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महाबली पुत्र श्री झंकार सिंह, ग्राम नजीमाबाद, थाना-नीमगांव, जनपद-लखीमपुर खीरी हालपता-ग्राम बण्डा (बाटामसिंह का मकान) थाना-बण्डा, जिला-शाहजहांपुर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 03-12-1990 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राकेश मिश्रा नामक व्यक्ति की बन्दूक से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-137, 138/1991 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25ए आर्म्स एक्ट में मा0 सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खीरी द्वारा दिनांक 15-04-1999 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.01.2015 तक 20 वर्ष 02 माह 02 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 05 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 03-09-2016 को बन्दी से की गयी पूछताछ एवं उसके द्वारा प्रकट किये गये व्यवहार के आधार पर समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपने अभिमत में उल्लेख किया है कि बन्दी ने दिनांक 03-12-1990 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राकेश मिश्रा नामक व्यक्ति की बन्दूक से गोली

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मारकर निर्दयता पूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी महाबली पुत्र श्री झंकार सिंह, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी वर्तमान जिला-शाहजहांपुर को फार्म-'ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन (क्रिमिनल) सं0-20742/2016 महाबली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-09-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी महाबली (बन्दी संख्या-46516) पुत्र श्री झंकार सिंह, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी वर्तमान जिला-शाहजहांपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-82/2017/2060(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-शाहजहांपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-82/2017/2060@22-2-2016-17(35)/2012

दिनांक 02 फरवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी महाबली (बन्दी संख्या-46516) पुत्र श्री झंकार सिंह, ग्राम नजीमाबाद, थाना-नीमगांव, जनपद-लखीमपुर खीरी हालपता-ग्राम बण्डा (बादामसिंह का मकान) थाना-बण्डा, जिला-शाहजहांपुर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 03-12-1990 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राकेश मिश्रा नामक व्यक्ति की बन्दूक से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-137, 138/1991 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25ए आर्म्स एक्ट में मा0 सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खीरी द्वारा दिनांक 15-04-1999 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.01.2015 तक 20 वर्ष 02 माह 02 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 05 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 03-09-2016 को बन्दी से की गयी पूछताछ एवं उसके द्वारा प्रकट किये गये व्यवहार के आधार पर समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपने अभिमत में उल्लेख किया है कि बन्दी ने दिनांक 03-12-1990 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राकेश मिश्रा नामक व्यक्ति की बन्दूक से गोली मारकर निर्दयता पूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी महाबली पुत्र श्री झंकार सिंह, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी वर्तमान जिला-शाहजहांपुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in